


मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 17-42/2022/ए-ग्यारह
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/08/2022

प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.
अरेरा हिल्स, भोपाल।



विषय:- मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध अधिनियम, 2013 एवं म.प्र. निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध नियम 2016 के अधीन प्रारूप योजना (स्कीम) देवास क्षेत्र के चयन के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक MP/PS/40 दिनांक 18/04/2022 एवं MP/PS/460 दिनांक 14/07/2022

--00--

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध अधिनियम, 2013 की उपधारा (1) सहपठित मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध नियम, 2016 के नियम 6 के उपनियम (1) के प्रावधानों के अंतर्गत एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर को राजस्व संभाग, इन्दौर एवं उज्जैन के क्षेत्राधिकार में आने वाले जिलों/क्षेत्र के लिये निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंध योजना (स्कीम) तैयार करने तथा अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 16-18/2015/बी-ग्यारह, दिनांक 19/06/2019 द्वारा एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

2/ संदर्भित टीप द्वारा मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध अधिनियम 2013 एवं मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध नियम 2016 के नियम 7 (1) एवं नियम 11 के प्रावधानों के अधीन निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध प्रारूप विकास योजना (स्कीम) देवास क्षेत्र हेतु कुल चयनित भूमि 6630.198 हेक्टेयर भूमि के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्तावित योजना में सम्मिलित ग्रामों/औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	शासकीय भूमि (हेक्टेयर मे)	निजी भूमि (हेक्टेयर मे)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)
1.	तुमनी	12.930	135.580	148.510
2.	गदेशपिपल्या	23.940	235.607	259.547
3.	नागझिरी	13.390	99.750	113.140

4.	अमोना	5.450	84.424	89.874
5.	बिंजाना	26.377	339.226	365.603
6.	रसूलपुर	0.744	88.871	89.615
7.	लोहार पिपलिया	6.320	136.711	143.031
8.	बांगर	2.410	115.356	117.766
9.	सिंगावदा	0.270	51.219	51.489
10.	अचलूखेडी	1.306	158.813	160.119
11.	बैरागढ	20.299	267.248	287.547
12.	लोहारी	4.016	27.385	31.401
13.	मरेठी	3.053	14.379	17.432
14.	हवनखेडी	14.800	130.638	145.438
15.	बारोड पिपल्या	8.730	138.055	146.785
16.	पावडला	9.151	155.650	164.801
17.	अलीपुर	3.780	30.710	34.490
18.	रूपाखेडी	20.480	210.194	230.674
19.	आजमपुर सुतारखेडा	5.576	75.870	81.446
20.	सुनवानी महाकाल	32.480	265.870	298.350
21.	टिगरिया छोटा	2.419	121.350	123.769
22.	छापरी	7.270	67.160	74.430
23.	निवानिया	15.010	142.370	157.380
24.	भादापीपल्या	3.510	149.710	153.220
25.	नागदा	530.577	933.591	1464.168
26.	जामोनिया	11.280	174.810	186.090
27.	भीमाखेडी	16.990	172.240	189.230
28.	गुराडिया भील	10.310	93.000	103.310
29.	बांगरदा	12.990	126.060	139.050
30.	धामन्दा	8.560	68.530	77.090
31.	सिरोल्या	8.981	249.406	258.387
32.	राजोदा	8.260	115.090	123.350
33.	विघमान औद्योगिक क्षेत्र 2,3	296.930	0.000	296.930
34.	विघमान औद्योगिक क्षेत्र 1	306.736	0.000	306.736
	कुल क्षेत्रफल	1455.325	5174.873	6630.198

3/ उक्त प्रस्ताव अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुरूप होने के कारण मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध अधिनियम, 2013 की धारा 4(3) सहपठित मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध नियम, 2016 के नियम 7(2) के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। नियम अनुसार अग्रिम कार्यवाही समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 29/08/2022

पृ. क्रं. एफ 17-42/2022/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
3. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन(म.प्र.)।
4. आयुक्त, सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला-देवास (म.प्र.)।
6. कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर (म.प्र.)।
-की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग